11.5.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प बागोर पर पेश हुई, न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.4.18 की पालना मे तहसीलदार मांडल से विभाजन स्कीम तैयार होकर प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली की गई। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा प्राप्त विभाजन स्कीम पर मनन किया। न्याय हित मे प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 7 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नवलपुरा पटवार हल्का बागोर II तहसील मांडल मे स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादिया एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

के नाम मिस्ल 00ड बाउण्ड्स व कब्जे काश्त के अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उसी अनुसार भूमि वादिया एंव प्रतिवादीगन संख्या 1 से 7 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे।

1. स्नेहलता कंवर पुत्री नन्दसिंह दरोगा सा- डेट निवासी नवलपुरा हाल निवासी नागोर, त० मांडल जिला - भीलवाड़ा वादिया के नाम भूमि कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे।

आराजी स.	रकबा
285	0.17
372	0.16
414/1	0.10
कुल किता 03 रकबा	2.03 बीघा

2. जयदेव सिंह, हेमेन्द्र सिंह पिता श्यामसिंह, अनुराधा पुत्री श्यामसिंह ना- बा- माता सागर, सागर पत्नी श्याम सिंह 1/3. शम्भूसिंह भैरूसिंह पिता नन्दसिंह 2/3 दरोगा सा डेट

आराजी स.	रकबा
383	0.12
384	1.03
385	4.00
414	0.13
कुल किता 04 रकबा	6.08 बीघा

उक्तानुसार भूमि वादिया एंव प्रतिवादी सं. 1 से 7 के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे। खर्चा फरिकेन अपना - अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा